संख्या :4580/श0वि0/आ0–04–201(सा0)/03

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तरांचल, देहरादून।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 27 नवम्बर, 2004

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिष्ठान के लिए अनुदान संख्या–13 लेखा शीर्षक–2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में अवचनबद्ध मदों की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या– 554/वि0अनु–1/2004, दिनांकः 30 जुलाई, 2004, शासन के पत्र संख्या–1636 श0वि0–आ0–2004–20(सा0)/2004, दिनांकः 02 अप्रैल, 2004, शासनादेश संख्या–2048/v/श0वि0–आ0–04–201(सामान्य)/04, दिनांकः 23 अप्रैल, 2004 एवं शासनादेश संख्या–3461/v-श0वि0–आ0–04–201(सामान्य)/04, दिनांकः 06 अगस्त, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष–2004–05 में आयोजनेत्तर पक्ष में शासनादेश दिनांकः 23 अप्रैल, 2004 द्वारा लेखानुदान से 01 अप्रैल, 2004 से 31 जुलाई, 2004 तक निर्गत की गई वित्तीय स्वीकृति को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 14.55 लाख (रू0 चौदह लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा ।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का व्यय विवरण बी0एम0–8 एवं बी0एम0–13 पर पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

3. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों अथवा डी0जी0 स्था0 एण्ड डी की दरों के अनुरूप फर्नीचर व उपकरण आदि का कुल एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5. कम्प्यूटर के कय के पूर्व एन0आई0सी0 / आई0टी0 विभाग की संस्तुति प्राप्त कर ली जायेगी।

6. फर्नीचर आदि का कय पदधारक के मानक के दृष्टिगत ही किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव-00-के अन्तर्गत संलग्नकों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-1774 / वित्त अनु0-3 / 2004, दिनांक: 09 नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(डा0 एस0एस0 सन्धू)
सचिव।

संख्या: ५५८० (1) श0वि0-आ0-2004-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-3 ।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या – 4580/V/श0वि0–आ0–2004–201(सामान्य)/2003,
दिनांक: 27 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2004 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

क0 संख्या	मद संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि (लेखानुदान द्वारा दि0 01 अप्रैल, 2004 से 31 जुलाई, 2004 तक स्वीकृत धनराशि सहित)
01	04–यात्रा व्यय	200
02	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200
03	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
04	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	150
05	42–अन्य व्यय	700
06	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	80
07	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25
	कुल योग	1455

(रू0 चौदह लाख पचपन हजार मात्र)

आज्ञा से,

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव